

॥ श्रीगणेशाय ॥
 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय'
 'कृष्णार्पणं कृष्णाय नमः'

[illegible]

आपके कार्यालय का पत्रांक-513/निजीय/33, दिनांक-03.08.2017

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र हार्दिक ऐंजुल एवं आभार वन प्रमाण का समर्पित प्रस्ताव प्राप्त हुआ, जिसे मैं परीक्षणार्थान्तः प्रसार के आलापन एवं हार्दिक कापी में पुनः निम्नलिखित कक्षों में पायी गयी है-

11th DE 2012

1. प्रभावित आरक्षित वर्गों के बदले समुदाय और वर्गों पर पुनः 08 वर्षों का अनुसंधान सहित प्राकलन संलग्न किया गया है। कक्षा प्रभावित आरक्षित वर्गों के बदले समुदाय और वर्गों पर 10 वर्षों का अनुसंधान सहित विस्तृत प्राकलन संलग्न करने के लिए आर्नाइज़ेशन भाग-2 में अपलोड करें तथा आर्नाइज़ेशन भाग-2 क्षतिपूर्वक वृद्धावृद्ध धनराशि आदि का विवरण भी फाइल करें।
2. क्षतिपूर्वक वनीकरण हेतु वर्गीकृत स्थल का प्रमाणित वनीक्षिकाएँ द्वारा सत्यापित 1:50000 माप की टोपोग्राफि संलग्न है किन्तु शीर्षक व लीगण्ड पुनः अधिकृत नहीं किया गया है।
3. ईको-क्वासा-3 के अनुसार एन0401040 की गणना संलग्न है किन्तु दर पुनः डिटेपुर्ल आगतिव की गई है। अतः Eco Class-3 एवं हरियाली घनत्व 0.3 के अनुसार निर्धारित दर 6,26,000.00 रुपये प्रति हे० की दर से गणना संलग्न करें।
4. आर्नाइज़ेशन भाग-2, Additional information details में अपलोड किये गये प्रमाण-पत्रों का नाम Remark Column में अधिकृत नहीं किया गया है।

[illegible]

अथ प्रमाणानुसारं विवक्षितं प्रतिपादयामः

1. प्रस्ताव में वृक्षा को खाना सूखा में कान रखा का दा वृक्ष को सूखा गुन खाना गरी का भाग है।
2. डूको-बलास-3 के अनुसार एनपीवी10 की गणना खाना है किन्तु दर पुनः ज़रिफ्ता आगोरा की गई है। अतः Eco Class-3 एवं हरियाली घनत्व 0.3 के अनुसार निर्धारित दर 6,26,000.00 रुपये प्रति हे० की दर से गणना खाना करें।
3. आनलाईन माप-2, कमांक-3 District wise area to be diverted in the division में Nil फीड किया गया है, जो ज़रिफ्ता है। अतः निरूप फीड करें।
4. आनलाईन माप-2, Additional information details में अपलोड किये गये प्रमाण-पत्रों का नाम Remark Column में अधिकतम किया गया है।
5. आनलाईन प्रस्ताव का पार्ट-2 औषध नहीं हो रहा है।

[illegible]

፤ ጥቅም ሲሆን ለሀገር ለሕገ

॥ कानडा ०१०८ ॥
 मल्लिकार्जुन लाल / कलश
 (१०८) ॥ १०८ ॥
 मल्लिकार्जुन

३०३/११-खी-PP/UP/IRRG/20269/2016 दिनांकित।
 प्र- निगमिखित अधिकारियों को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्रवाही हेतु प्रेषित-
 प्रभाषी वनाधिकारी, रेजिस्ट्रार एवं आबकारी।
 अध्यापक अभियन्ता, कानूनी निर्माण खण्ड, प्रतीय, प्रियी योजनाएं।
 ५.३-55T
 १५/१२/२०१६
 २०१६
 (३०) प्रशासनिक कार्यालय (प्रशासनिक)
 मुख्य एवं सहायक / प्रमुख अधिकारी
 २०१६, २०१६, २०१६

[illegible]